न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 21/2005

1. बनवारीलाल पुत्र मालीराम उर्फ मालिया (फौत)
1/1 सावित्रीदेवी पत्नी बनवारीलाल
1/2 विनोदकुमार पुत्र बनवारीलाल
1/3 मदनकुमार पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कैरू तहसील नवलगढ जि0 झुन्झुनू
2. बदीप्रसाद पुत्रान मालीराम उर्फ मालिया जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम कैरू तहसील नवलगढ

—वादीगण

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री करणीमाता जी जरिये सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर जिला बीकानेर राज्य राजस्थान व संरक्षक तहसीलदार "कन्वीनर" तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
2. पुजारक श्री करणीमाता मंदिर देशनोक बीकानेर जिला बीकानेर राज्य राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड

वकील वादीगण:— श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड
वकील प्रतिवादी नं. 1:— राजकीय पैरोकार तहसीलदार नवलगढ

निर्णय

दिनांक 29.04.2019

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कैरू की सरहद में भूमि पुराने ख. नं. 147 रकबा 4 बीघा 5 बिश्वा, ख.नं. 148 रकबा 3 बीघा 3 बिश्वा, ख.नं. 149 रकबा 3 बीघा 12 बिश्वा, ख.नं. 144 रकबा 6 बीघा 15 बिश्वा, ख.नं. 91 रकबा 1 बीघा 5 बिश्वा कुल किता 5 कुल रकबा 19 बीघा 2 बिश्वा पुख्ता स्थित है, जिसके नये ख.नं. 278 रकबा 4.52 है0 व ख.नं. 219 रकबा 0.39 है0 जो विवादित भूमि है, जिसकी बाबत दावा पेश किया जा रहा है। विवादित भूमि पुराने खनं. 147 लगायत 149 खेतडी ठिकाने की भूमि थी, जिसका वादीगण का स्वर्गीय पिता खातेदार काश्तकार था और काबिज था, जिसकी पर्चा खतौनी वादीगण के पास माजूद है, उक्त भूमि वादीगण के स्व0 पिता के जागिरदारों के समय से ली थी जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है और काबिज हैं। भूमि पुराने खनं. 144 व 91 वादीगण के पिता की खुद काश्त में थी अर्थात वादीगण का स्व0 पिता खुद काश्त करता था और प्रतिवादी नं. 1 मूर्ति—मंदिर की खुद काश्त में नही थी। प्रतिवादी नं. 1 की जागीर खालसा हुई तब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादीगण के स्व0 पिता इस भूमि के भी खातेदार काश्तकार हो गये। संवत 2009 लगायत 2012 की जमाबंदी खतौनी गश्त निरदावरी में भी वादीगण के स्व0पिता की खुदा काश्त में दर्ज है। इसप्रकार वादीगण के स्व0 पिता मालीराम उर्फ मालिया की खातेदारी काश्तकारी व कब्जे की भूमि थी जिनकी मृत्यु होने पर वादीगण खातेदार काश्तकार हो गये तथा भूमि को बै—हसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते हैं और काबिज है। विवादित भूमि वादीगण खातेदार काश्तकार हैं और काबिज हैं तथा अब भी काश्त करते हैं। उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के स्व0पिता की मृत्यु के बाद में वादीगण के नाम से दर्ज की जानी चाहिये थी परन्तु भू प्रबंध अधिकारियों ने बिना अधिकार के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर विवादित भूमि प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी में गलत व कानून के खिलाफ दर्ज करदी, जबकि भू प्रबंध अधिकारियों के इस न्यायालय के आदेश के अभाव में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था, वास्तव में भूमि वादीगण की खातेदारी मं दर्ज की जानी चाहिये थी परन्तु बिना अधिकार व खिलाफ कानून प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी में दर्ज करदी जो कानून के खिलाफ दर्ज की है इसलिये दावा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने के लिये पेश करना आवश्यक हुआ। भूमि पुराने ख.नं. 91 के नये ख.नं. 219 और पुराने खनं. 144 को अन्य पुराने ख.नं. 147, 148 व 149 के साथ मिलाकरनये ख.नं. 278 बना दिये गये। भूमि लगान भी वादीगण व इनके स्व0 पिता ने अदा किया है जिसकी रसीद भी वादीगण के पास मोजूद है तथा वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं ओर काबिज हैं, जिसकी खातेदारी वादीगण के पिता व वादीगण के नाम से दर्ज की जानी चाहिये थी। परन्तु गलती से प्रतिवादी मूर्ति मंदिर केनाम

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

से दर्ज करदी। प्रतिवादी नं. 1 के नाम गलत रिकार्ड रहने से वादीगण कभी भी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो सकते हैं और मुकदमे बाजी व विवाद भी हो सकता है, इसलिये दुरूस्ती रिकार्ड करवाया जाना अति आवश्यक है तथा वादीगण को खातेदार घोषित करवाना भी जरूरी है। उक्त गलत रिकार्ड की वादीगण को कोई जानकारी नहीं थी, परन्तु वादी नं. 2 ने उक्त भूमि में कुआ बनवालिया और ज उसमे विद्युत कनेक्शन लेने लगा तब दिनांक 17.11.2004 को राजस्व रिकार्ड देखने पर पता चला कि वादीगण की उक्त खातेदारी की भूमि प्रतिवादी मूर्ति–मंदिर के नाम से दर्ज हे तब गलत रिकार्ड का वादीगण को पता चला इससे पूर्व वादीगण को गलत रिकार्ड की बाबत कोई जानकारी नहीं थी तथा इसके बाद में वकीलों की हडताल रहने के कारण दावा पेश नहीं किया जा सका इसलिये ही अब तक दुरूस्ती रिकार्ड की बाबत कार्यवाही नहीं की जा सकी, अब पता चलने पर दुरूस्ती रिकार्ड हेतु दावा पेश किया जा रहा है। इसके उपरांत वादीगण ने अपने कानूनी सलाहकार की राय ली तथा खर्च का इन्तजाम किया जिसमें भी समय लग गया और दुरूस्ती रिकार्ड का दावा भी जानकारी से अंदर अवधि में पेश किया जा रहा है। जब वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये तो पुनः खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते हैं। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम कैरू की सरहद में स्थित भूमि पुराने ख.नं. 147, 148,149, 144 व 91 अर्थात नये ख.नं. 278 रकबा 4.52 है0 व ख.नं. 219 रकबा 0.39 है0 भूमि को वादीगण को खातेदार काश्तकार व काबिज होना घोषित फरमाया जावे और वादीगण को खातेदार के रूप में उक्त भूमि के उपयोग उपभोग करने का अधिकारी घोषित फरमाया जावे। उपरोक्त भूमि के खातेदारी खाने से प्रतिवादी का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज करने बाबत आवश्यक दुरूस्ती रिकार्ड का आदेश प्रदान किया जावे तथा आवश्यक राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती हेतु तहसीलदार तहसील नवलगढ के नाम आदेश जारी किया जावे। तथा अन्य सिद्धि जो वादीगण के पक्ष में हो और भूलवश चाही जाने से रह गई हैं वह भी अं.धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण को दिलाई जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से राजकीय परौकार उपस्थित तथा प्रतिवादी नं. 2 की और से अध्यक्ष श्री करणी मंदिर निजी न्यास–देशनोक बीकानर ने उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि विवादित जमीन से हमारे ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही हम इसमें कोई पैरवी करना चाहते हैं और विवादित भूमि हमारे ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि ग्राम कैरू के पुराना भूमि ख.नं. 147,148, 149, 91, 144 संवत 2012 से 2015 एवं 2016 से 2019 में माफी मंदिर श्री करणीमाता के नाम से दर्ज रहे हैं। माफी मंदिर शास्वत नाबालिग होता है, मंदिर की खातेदारी कृषि भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी हकूक प्राप्त नही हो सकते हैं। माफी मंदिर भूमि का किसी व्यक्ति के नाम पटा जारी नही किया जा सकता है तथा ना ही उक्त भूमि पर किसी की काश्त या खुद काश्त मानी जाती है, मंदिर की भूमि को अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली काश्त माफी मंदिर की और से काश्त किया जाना माना जा रहा है। माफी मंदिर की खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति विशेष या पुजारी आदि की गलत रूप से खातेदरी दर्ज किया जाना कानूनी रूप से गलत है, तथा उस खातेदारी को हटाया जाकर मंदिर के नाम भूमि दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमि कदीमी मंदिर माफी की दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है जिसकी खातेदारी किसी अन्य के नाम की जाना नियम विपरीत है। सैटलमेन्ट ऑपरेशन 1985 में नियमानुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार भू प्रवंध विभाग को देवस्थान की भूमियों के मंदिरों के नाम रिकार्ड दुरूस्ती करने का अधिकार होने के कारण ही मंदिर माफी की भूमि को संबंधित मंदिर मूर्ति श्री करणीमाता के नाम से दर्ज रिकार्ड की गई। अतः वाद वादी सारहीन होने से काबिज खारीज है। जबाब प्रस्तुत होने पर निम्नानुसार पर्चा तनकीयात कायम की गईः–

तनकी नं. 1:– आया वादीगण भूमि ख.नं. 278 रकबा 4.52 है0 व ख.नं. 219 रकबा 0.39 है0 स्थित सरहद ग्राम कैरू तहसील नवलगढ की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने एवं उक्त भूमि को उपयोग उपभोग में लेने का अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

–भा.स.वादीगण

तनकी नं. 2:– आया वादीगण उपरोक्त वर्णित ख.नं. की भूमि व रकबा बाबत राजस्व रिकार्ड अपने नाम से प्रतिवादी का नाम हटा कर दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं।

–भा.स.वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

तनकी नं. 3:– आया दावा अदालत हाजा के श्रवणाधिकार में नही है।

–भा.स.प्रतिवादी

उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर शहादत पक्षकारान ली जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा राजस्व ग्रुप–6 प0 3(2)राज–6/2007/14 जयुपर दिनांक 24.05.2007 का परिपत्र व राजस्व ग्रुप–6 प0 3(2)राज–6/2007/19 जयपुर दिनांक 25.11.11 का परिपत्र आरआरडी 14.0918 पेज नं. 545–552, तथा आरआरडी 14.09.15 के पेज नं. 556–587, आरआरडी 2015 पेज नं. 91–98, आरआरडी पेज नं. 370–375, आएलडब्लू 2011 पेज नं. 351–356 तथा आरआरडी 2003 पेज नं. 71–74, आरआरडी पेज नं0 14–18, आरआरडी 2000 पेज नं. 189–193 का तथा पत्रावली उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस तथ्यों पर मनन किया गया। निर्णय तनकी वार निम्नानुसार है:–

तनकी नं. 1:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की मुख्य आपत्ति है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि थी जबकि भू प्रबंध अधिकारियों ने बिना अधिकार के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर के नाम गलत दर्ज कर दी। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड को अन्तिम रूप देने से पूर्व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। वादीगण द्वारा सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान या तत्काल बाद इस संबंध में कोई आपत्ति क्यों नही की इस संबंध में कोई आपत्ति स्थिति स्पष्ट नही की गई है। सेटलमेन्ट के लम्बे समय बाद वर्ष 2005 में वाद पेश करने का कोइ युक्तियुत्त आधार नही है बताया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत परिपत्र एवं न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर अक्षरशः चस्पा नही होते हैं। मूर्ति मन्दिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभुत नही होते हैं। अतः तनकी सं0 1 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं. 2:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। तनकी नं. 1 में पूर्ण रूप से विवेचना की जा चुकी है। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी नं. 3:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी नं. 1 पर था। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कानूनी प्रावधान नही बताया गया है कि इस न्यायायलय को इस प्रकार वाद सुनने की श्रवर्णाधिकार नही है अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

अतः वाद वादीगण सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 29.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.4.19
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ व दुरूस्त रिकार्ड

मुकदमा सं0:– 21/2005 (बनवारीलाल आदि बनाम मंदिर मूर्ति श्री करणीमाताजी आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड [अधि]कारी, नवलगढ वहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब [न्या]दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

[नि]र्णय दिनांक 29.04.2019 निर्णय वाद वादीगण सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता

जिन...........–.................... मुबलिग..........–...........बाबत......–.................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद [ब]शरह.....................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे। [ब]सबक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 29 माह 04 सन..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

[मु]द्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
[स्]टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
[व]कालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
[स्]टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
[म]हनताना वकील	–	महनताना वकील	–
[ख]र्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
[फ़ी]स कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
[बा]बत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
[मु]तफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner